

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसिया ,
पीठासीन अधिकारी - रतनलाल रेगर आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या - 278/2016
प्रार्थीगण:-

- 1 मगनाराम पुत्र श्री नारायणराम
- 2 नगाराम पुत्र श्री नारायणराम
- 3 बबुताराम पुत्र श्री नारायणराम
- 4 खेताराम पुत्र श्री नारायणराम
- 5 पांचाराम पुत्र श्री नारायणराम
- 6 खीयाराम पुत्र श्री बगताराम
- 7 पूनाराम पुत्र श्री बगताराम
- 8 बगडुराम पुत्र श्री हरजीराम
जाति विश्णोई निवासी शिवनगर (एकलखोरी)
तहसील औसिया जिला जोधपुर
-: ब न म :-

अप्रार्थीगण:-

- 1 भारूराम पुत्र श्री गुमानाराम
- 2 दीपाराम पुत्र श्री गुमानाराम
- 3 सुखराम पुत्र श्री गुमानाराम
- 4 हिम्मताराम पुत्र श्री भैराराम
- 5 शेराराम पुत्र श्री भैराराम
- 6 ओमाराम पुत्र श्री भैराराम
- 7 मुलीदेवी पत्नि श्री भैराराम
- 8 उम्मेदाराम फौत जिनके कायम मुकाम
8-1 जोगाराम पुत्र श्री उम्मेदाराम
8-2 गोसाईराम पुत्र श्री उम्मेदाराम
8-3 रूपादेवी पत्नि श्री उम्मेदाराम
8-4 चनणी पुत्री श्री उम्मेदाराम
8-5 सुगना पुत्री श्री उम्मेदाराम
8-6 सम्मु पुत्री श्री उम्मेदाराम
8-7 पेंपा पुत्री श्री उम्मेदाराम
- 9 ताजाराम पुत्र श्री हेमाराम फौत जिनके कायम मुकाम
9-1 पुरखाराम पुत्र श्री ताजाराम
9-2 हुकमाराम पुत्र श्री ताजाराम
9-3 मोहनराम पुत्र श्री ताजाराम
9-4 ओमाराम पुत्र श्री ताजाराम
9-5 कमलादेवी पुत्री श्री ताजाराम
9-6 पीस्तादेवी पुत्री श्री ताजाराम
9-7 बादूदेवी पुत्री श्री ताजाराम
9-8 धाई देवी पुत्री श्री ताजाराम
9-9 मांगीदेवी पत्नि श्री ताजाराम
- 10 चोखाराम पुत्र श्री पनाराम



न्यायालय सहायक कलेक्टर, जोधपुर

- 11 भूशाराम पुत्र श्री पनाराम
- 12 जेठाराम पुत्र श्री पनाराम नाबालिग वली मीरा पत्नि श्री पनाराम
सभी जाति जाट निवासी शिवनगर
- 13 मानाराम पुत्र श्री रामकिशन
- 14 देवाराम पुत्र श्री रामकिशन
- 15 बुधाराम पुत्र श्री रामकिशन
- 16 सुखराम पुत्र श्री रामकिशन
- 17 सागरमल पुत्र श्री रामकिशन
- 18 गोविन्दराम पुत्र श्री महीराम
- 19 फरसाराम पुत्र श्री महीराम
- 20 सुभाष पुत्र श्री महीराम
- 21 हीरा पत्नि श्री महीराम
- 22 मूमल बेवा श्री रामकिशन
- 23 मलूराम पुत्र श्री रामजीराम
- 24 राणाराम पुत्र श्री रामजीराम
जाति विशनोई निवासीगण शिवनगर
तहसील औंसिया जिला जोधपुर ।
- 25 श्री तहसीलदार औंसिया ।

उपस्थित

- 1 श्री अमरसिंह भाटी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
- 2 अप्रार्थीगण संख्या 1 से 12 की ओर से श्री चन्दनसिंह भाटी शेष अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए, आर.टी.एक्ट.

— निर्णय —

दिनांक - 7/8/2019

इस प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम शिवनगर पटवार क्षेत्र एकलखोरी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 431 रकबा 147 बीघा 7 बीस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है । उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर की भूमि के पश्चिम की तरफ अप्रार्थी संख्या 23 व 24 की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 434 रकबा 17 बीघा 15 बीस्वा , व खसरा नम्बर 434/1 रकबा 17 बीघा 15 बीस्वा असिंचित भूमि आई हुई है । उसके आगे अप्रार्थी संख्या 13 से 22 की खसरा नम्बर 435 रकबा 33 बीघा 4 बीस्वा भूमि सिंचित व उसके आगे अप्रार्थी संख्या 1 से 12 की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 437 रकबा 26 बीघा 18 बीस्वा असिंचित भूमि आई हुई है जिसके पश्चिम दिशा में एकलखोरी गांव से नाईनाडा तक ग्रेवल सड़क चलती है । उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु ग्रेवल सड़क से अप्रार्थीगण की भूमि में से पीढीयो पुराना पुस्तेनी रास्ता चलता है जिसे नजरी नक्शे में मार्क ए से बी दर्शाया गया है इसके अलावा प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने का कोई दुसरा वैकल्पिक रास्ता नहीं है । प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा किन्तु रास्ते का मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं हुआ इसलिए प्रार्थीगण न्यायालय हाजा में उक्त रास्ता तय करने एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है । प्रार्थीगण को उक्त रास्ता ग्रेवल सड़क से अप्रार्थीगण की भूमि के अन्दर 20 फुट चोडा प्रार्थीगण के भूमि तक तय



7/8/2019

किया जाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज किया जावे । प्रार्थी विधि अनुसार एवं डी एल सी की दर से असिंचित व सिंचित भूमि की दर के अनुसार रास्ते की भूमि का प्रतिकर न्यायलय हाजा द्वारा अवधारित करने पर अदा करने के लिए तैयार है । प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण की रहवासीय ढाणीये बनी हुई है जिसमें परिवार सहित प्रार्थी निवास करता है । ग्रेवल सडक से प्रार्थीगण की भूमि में अनाज व चारा आदि झाले एवं खाद बीज के लिए एवं कृषि कार्य हेतु 20 चोडे रास्ते की आवश्यकता है । प्रार्थीगण को आज भी अपनी रहवासी ढाणी एवं भूमि में आने जाने हेतु भंयकर समस्या है एवं नजरी नक्शे में दर्शाया गया रास्ता लघुतम एवं निकटतम है ।

प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिश जारी किये गये ,बाद तामील अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 की ओर से श्री चन्दनसिंह भाटी तथा शेष अप्रार्थीगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं और न अधिवक्ता द्वारा कोई वकालत नामा पेश किया गया । अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का खण्डन नहीं किया । हल्का आर.आई. से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर सामिल मिसल की गई ।

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना गया । वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपने नजरी नक्शे के अनुसार रास्ता स्वीकार किये जाने का निवेदन किया । वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण ने अपने नजरी नक्शे में रास्ता मार्क ए से बी मांगा है जिसके अनुसार अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 435 व 434 के मध्य भाग में से मांगा है जिससे अप्रार्थीगण के खेतों के दो टुकड़े हो रहे हैं । प्रार्थी के नजरी नक्शे से हल्का आर.आई. का नजरी नक्शा भिन्न है तथा उसके अनुसार भी खसरा नम्बर 435 व 434 के दो टुकड़े होते हैं तथा प्रार्थी द्वारा व आर. आई. रिपोर्ट के नक्शे में बताया गया रास्ता निकटतम व लघुतम नहीं है इसलिए अप्रार्थी के खसरा नम्बर 437 ,435, 434 की उत्तरी सीमा के सहारे यदि रास्ता दिया जाता है तो वह सबसे निकटतम व लघुतम होगा एवं अप्रार्थीगण के खेतों के दो टुकड़े भी नहीं होंगे । दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों पर घौर किया एवं पत्रावली व आर.आई. रिपोर्ट का अवलोकन किया । अतः न्यायहित में खसरा नम्बर 437 , 435 व 439 की उत्तरी सीमा के सहारे प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 431 में आने जाने के लिए 20 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकार किया जाता है । प्रार्थीगण से नियमानुसार डी. एल. सी. की दर का दो गुना प्रतिकर की राशि का भुगतान करवाया जाकर राजस्व रेकर्ड व लड्डा ट्रेज में अमल दरामद किया जावे । सम्बन्धित तहसीलदार को तहरीर जारी की जावे । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो ।

सहायक कलेक्टर, ओसियां
सहायक कलेक्टर, ओसियां

आदेश आज दिनांक 20/11/19 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।



सहायक कलेक्टर, ओसियां
सहायक कलेक्टर, ओसियां